Teaching Scheme for the last five years is as under:—

1973-74	30,26,000
1974-75	44,61,000
1975-76	48,04,600
1976-77	49,63,000
1977-78	43,02,243
	(Upto January 1978)

(b) In the last five years, nearly 87,200 Central Government employees passed the various examinations under the Hindi Teaching Scheme. Such employees, on passing the prescribed Hindi examination, are granted personal pay equal to one increment for a period of 12 months, subject to certain conditions. This increment is given to the employees by their respective Ministries/Departments, and the expenditure incurred thereon is also borne by them.

(c) No, Sir. Not all the Central Government employees, after training in Hindi, transact their official work in English alone.

(d) In accordance with Section 3 (1) of the Official Language Act 1963, Central Government employees have the option to do their official work either in English or in Hindi. Keeping in view the policy of the Government to progressively increase the use of Hindi in official work, a scheme was formulated in Oct. '74 to provide cash incentives to the employees who use Hindi for the official purposes of the union. This is applicable to the Central Government offices located in the Hindi speaking areas and Gujarat, Maharashtra and Punjab.

Moreover, the official language Rules provide that those employees who acquire working knowledge of Hindi may not ask for English translation of documents, other than those of legal or technical nature. Further workshops are being organised to remove the hesitation of employees in using Hindi for the purposes of noting and drafting etc.

It has also been provided under Rule 10(4) of the Official Languages Rules, 1976 that offices where 80 per cent or more staff possess working knowledge of Hindi, shall be notified and out of these offices, some may be specified under Rule 8(4) where employees possessing proficiency in Hindi, will be asked to do their noting and drafting etc. in Hindi only.

The Government has also emphasised upon its employees the use of simple Hindi including popular words of English wherever necessary. This policy has encouraged more and more Government employees to use Hindi in their official work.

फिल्म उद्योग को एक उद्योग के रूप में मान्यता देना

3928. **श्री श्याम सुन्दर दास :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों ने फिल्म उद्योग को एक उद्योग के रूप में मान्यता नहीं दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे एक उद्योग के रूप में मान्यता देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण अडवाणी) : (क) और (ख). फिल्म निर्माण इस अर्थ में उद्योग है कि यह एक क्रमबद्ध आर्थिक गतिविधि है । तथापि, इसको अधिक जोखिम अल्प प्राथमिकता वाला उद्योग समझा जाता है । कृषि, सिंचाई , बिजली परियोजनाओं, आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की स्पर्धी मांगों को देखते हुए, उपलब्ध संसाधनों के अन्दर इस उद्योग को संस्थागत वित्तीय सहायता देने की सुविधाएं देना सम्भव नहीं हुआ है । केन्द्रीय सरकार ने सौद्देश्य विषयों पर उच्च

कोटि की कम लागत वाली फिल्मों के निर्माण हेतु तथा सिनेमा उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए फिल्म वित्त निगम स्थापित किया हुआ है । कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने अपने राज्यो में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए अपने अपने फिल्म विकास निगम स्थापित किए हुए हैं ।

लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए खनिजों का सर्वेक्षण

3929. **श्री श्याम लाल धुर्वे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खनिजो तथा वन उत्पादो जैसे कच्चेमाल से सपन्न जिलो का सर्वेक्षण कराने की कोई योजना है ताकि उनसे सबंधित लघु और कुटीर उद्योगो की स्थापना करने के लिए उपयुक्त स्थानो का पता लगाया जा सके ,

(ख) यदि हा, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नही, तो इस उद्देश्य के लिए अब तक योजना न बनाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) : (क) स्थानीय स्रोतो, स्थानीय कुशलता और स्थानीय माग के आधार पर लघु तथा कुटीर उद्योगो की स्थापना करने की दृष्टि से लगभग सभी जिलो का सर्वेक्षण किया जा चुका है । जिला उद्योग केन्द्रो के कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिस मे देश के सभी जिले थोडी सी अवधि मे ही आ जाऐगे, विद्यमान लघु तथा कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहन देने और नये औद्योगिक क्रिया कलाप की स्थापना के लिए सर्वेक्षणो की समीक्षा की जायेगी ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नही उठते ।

राजभाषा अधिनियम, 1968 के उपबन्धों की क्रियान्विति

3930. **श्री राम प्रसाद देशमुख :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या उन के मत्रालय/विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1968 और उस के अन्तर्गत जून, 1976 मे बनाये गये नियमो के बारे मे अपने सबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयो को सूचना दे दी है तथा क्या उन्हें इनको क्रियान्वित करने के लिए कहा गया है ,

(ख) यदि हा, तो मत्रालय/विभाग ने उत्तर दिया है कि उक्त उपबधो और नियमो का पूरी तरह मे पालन किया जा रहा है, और

(ग) यदि नही, तो उस के क्या कारण है और उक्त नियमो का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण अडवाणी) : (क) जी हा ।

(ख) और (ग). यथा सशोधित राजभाषा अधिनियम तथा राज भाषा (सघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के उपबन्धो को यथा सम्भव हद तक कार्यान्वित किया जा रहा है । उक्त अधिनियम और नियमो के उपबन्धों का पूरी तरह पालन न होने के मुख्य कारण है पर्याप्त अनुवाद सुविधाओ और हिन्दी टाइपिस्टो आदि की कमी तथा अधिकाश अधिकारियो/ कर्मचारियो का हिन्दी मे प्रवीण न होना या हिन्दी मे काम करने का अभ्यस्त न होना । उक्त अधिनियम और नियमो के उपबन्धो का पालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे है :–

(1) मंत्रालय के विभिन्न सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयो से प्राप्त हिन्दी के